न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा / 94 / 2018 तारीख रजु 31.08.2018

उनवान

1 कल्याण पुत्र मनोहरी जाति मीना निवासी नंगला मीना तहसील हिण्डौन जिला करौली।

———वादीगण(01)

बनाम

1 समय सिंह पुत्र कल्याण जाति मीना वगै0 निवासी नंगला मीना तहसील हिण्डौन जिला करौली।

———प्रतिवादीगण(05)

उपस्थितिः–

वादी की ओर से :– श्री राजूलाल सोनवाल एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :– कोई नहीं

निर्णय

दिनांक 19.02.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतन एक दावा बावत् स्थाई निषेधाज्ञा स्थित ग्राम नंगला मीना तहसील हिण्डोन के खसरा न. 1032, 1033, 1036, 1266, 1457, 1520, 1582, 699, 811, 837, 920, 923, 928, 932 / 1658, 955, 958, 959, 976 के सम्बंध में पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बार–बार आवाज दिलाई गई । पत्रावली वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं आए, जिससे जाहिर होता है कि उभय पक्ष उक्त दावा में कोई रूचि नहीं ले रहा है।

अतः वादी दावा मुकदमा नंबर 94 / 2018 कल्याण बनाम समयसिंह अदम पैरवी, अदम हाजिरी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 19.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2020.08.07 15:32:44 IST
Reason: SelfAttested